सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 28/15 **निर्णय दिनांक 5.3.2018**

1. हुलासमल दत्तक पुक किसनाराम जाति रेंगर निवासी श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मनीष पुत्र हुकमचन्द
2. बनानन्द पुत्र हुकमचन्द

नाबालिग जरिये कुदरती माता श्रीमती गोमती पत्नी स्व. हुकमचन्द जाति रेगर निवासी श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू।
4. उप पंजीयक श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29—12—2014
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 29—12—2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा जैसलसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खसरा नम्बर 360 तादादी 10.63 हेक्टर रकबा अपीलांट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का ट्यूबवैल बनाया हुआ है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है क्योंकि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के पैदा होने से पहले ही रेस्पोडेन्ट के पिता को हक व हिस्सा दे दिया था तथा रेस्पोडेन्ट का पिता अपीलांट से अलग हो गया था। वादगत् भूमि पर अपीलांट द्वारा ट्यूबवैल बनाया हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। जबकि रेस्पोडेन्ट के जन्म से पूर्व ही उनके पिता हुलासमल अपीलांट से तमाम पैतृक चल व अचल सम्पति में अपना हिस्सा प्राप्त कर आज से करीब 12 वर्ष पूर्व ही अलग हो गये थे। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा अब शेष रहा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाकर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की

अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के समन उनके सरंक्षक माता पर तामील होकर प्राप्त हुए परन्तु बावजूद सूचना वे उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का विधिवत हिस्सा कायम है। अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा जैसलसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 360 तादादी 10.03 हेक्टर के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेन्ट के जन्म से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट के पिता को चल व अचल सम्पति से हक व हिस्सा प्रदान किया जा चुका है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादगत् भूमि पूर्व में किसना वल्द सुन्दर के नाम दर्ज चली आ रही थी। किसनाराम की मृत्यु उपरान्त उक्त वादगत् भूमि विरासतन हुलासमल अर्थात अपीलांट के नाम बतौर पुत्र किसनाराम दर्ज की गई। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है।

(4) रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादगत् भूमि पर जन्म से ही हिस्सा निहित होने से वादगत् भूमि पर अपना 1/5 हिस्सा होना बताया गया है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है जिस पर हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि किसनाराम के नाम दर्ज रही है तथा हुलासमल अर्थात रेस्पोडेन्ट के दादा को उक्त सम्पति पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। अपीलांट का कथन कि उनके द्वारा पूर्व में ही अपीलांट

के पिता को चल व अचल सम्पति में से हक व हिस्सा दिया जा चुका है उक्त कथन के समर्थन में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे साबित हो कि उनके द्वारा पूर्व में ही अपीलांट के पिता को कोई हक व हिस्सा प्रदान किया गया हो केवल मौखिक कथन से यह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(6) प्रकरण में पूर्व में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में दिनांक 30—03—2015 को भी न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश इस आश्य का ही जारी किया गया है कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा जैसलसर के खेत खसरा नम्बर 360 तादादी 10.03 हेक्टर के रहन की हद तक स्थगित रखी जावे तथा शेष आदेश यथावत बहाल रखा जावे अर्थात वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति पूर्वानुसार कायम रखी जावे। इसप्रकार अपीलांट भी परोक्ष व अपरोक्ष रूप से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का कोई विरोध नहीं किया गया है।

(7) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व रहन, बैय नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 29—12—2014 बहाल रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर